अतिमहत्वपूर्ण / ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

नवम तल, टावर– 2 पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

संख्याः डीजी–परिपत्र–51 / 2023 दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 29, 2023

सेवा में,

1–समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी, उ0प्र0।

विषयः भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 के द्वारा जनपदीय थानों में पंजीकृत कराये गये अभियोगों की विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन के इकाईयों को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

आप सभी अवगत है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति अपनायी जा रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने के लिये भ्रष्टाचार निवारण संगठन की पूर्व से स्थापित 10 इकाईयों के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः10 / 2022 / 3096 / 6–पु–1–21–98 / 2022, दिनाँकः 22.09.2022 द्वारा 08 नवीन इकाईयों का सृजन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रत्येक परिक्षेत्र / मण्डल स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 18 इकाईयॉ स्थापित हैं। साथ ही साथ शासनादेश संख्याः119 / 2022 / 2098पी / छः–पु–6–2022–300(54) / 2019 दिनांकित 17.11.2022 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन की मण्डल स्तर पर अधिष्ठापित इकाईयों को थाना के रूप में अधिसूचित किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के थानो पर सीसीटीएनएस पर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

2– संगठन मुख्यालय द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है, कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा संबंधित जनपदों में पंजीकृत कराये गये अभियोग भ्रष्टाचार निवारण संगठन के संबंधित थानों को सीसीटीएनएस पर स्थानान्तरित किये जाने में स्थानीय जनपद स्तर से विलम्ब किये जाने के कारण विधिक कार्यवाही किये जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है तथा माननीय न्यायालय में भी असहज स्थिति का सामना करना पड रहा है। इससे अभियुक्त को अनुचित लाभ होने की भी प्रबल सम्भावना बनी रहती है।

3– अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है, कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 के द्वारा आपके जनपद में पंजीकृत कराये गये अभियोग भ्रष्टाचार निवारण संगठन के संबंधित थानों को अविलम्ब स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें। इसमे किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही न बरती जाए।

(विजय कुमार)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें :–

1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।